पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

दीवानी याचिका क्षेत्रवाद संख्या- 9282/2023

==========

देवेन्द्र कुमार दर्द, पुत्र- स्वर्गीय रमेश सिंह, निवासी- फ्लैट नं.-401, बेली रोड, अम्बेडकर नगर (जगदेव पथ), रुकनपुरा, थाना- रूपसपुर, जिला पटना।

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
2. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

..... प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

==========

A. **बिहार सी. सी. ए. नियमावली, 1976-विभागीय कार्यवाही-आरोप-कोई नया आरोप लागू नहीं किया जा सकता है-उस आरोप को छोड़कर जिसे गठित किया गया है उसे स्वीकार करें।** *(कंडिका-10), (एम. वी. बिजलानी बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 5 एस. सी. सी. 88, कंडिका-14,20,23 से 26)।*

B. सजा का आदेश-बिना किसी सबूत के-बाहरी सामग्री-नए आरोप लगाने-विकृत-कानून की नजर में टिकाऊ नहीं-सजा का आदेश रद्द करने योग्य है। (कंडिका-11)।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

दीवानी याचिका क्षेत्रवाद संख्या- 9282/2023

==========

देवेन्द्र कुमार दर्द, पुत्र- स्वर्गीय रमेश सिंह, निवासी- फ्लैट नं.-401, बेली रोड, अम्बेडकर नगर (जगदेव पथ), रुकनपुरा, थाना- रूपसपुर, जिला पटना।

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
2. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

..... प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

==========

उपस्थितिः-

याचिकाकर्ता/ओं के लिएः श्री राजेश रंजन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिएः श्री शिव शंकर प्रसाद (एससी-8)

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीखः 22-01-2024

1. वर्तमान रिट याचिका सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा पारित सजा के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत और जिसके अन्तर्गत याचिकाकर्ता को संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धि को रोकने की सजा दी गई है। याचिकाकर्ता ने सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, द्वारा पारित संशोधित आदेश दिनांक 06.01.2023 को रद्द करने का भी अनुरोध किया है। पटना, जिसके तहत और जिसके अन्तर्गत याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को न केवल खारिज कर दिया गया है, बल्कि इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता निलंबन की अवधि के लिए उसे पहले से ही भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते यानी 26.12.2017 से 21.04.2021 के अलावा किसी भी राशि का हकदार नहीं होगा।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को शुरू में वर्ष 2000 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 42 वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उप समाहर्ता के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद वह सभी संबंधित लोगों की संतुष्टि के लिए काम कर रहा है। फिर भी, याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ई) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत अपराधों के लिए 2017 का सतर्कता पी. एस. मामला संख्या- 82 वाली एक प्राथमिकी इस आरोप पर दर्ज की गई थी कि उसने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर आय के ज्ञात स्रोतों से असंगत 85,546/- मूल्य की संपत्ति अर्जित की थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता को 26.12.2017 को निलंबित कर दिया गया था और पत्र दिनांकित 03.04.2018 के माध्यम से, याचिकाकर्ता को अन्य बातों के साथ-साथ प्रपत्र 'का' आरोप पत्र तीन आरोपों को लगाते हुए दिया गया था, जो यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

> "1. पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के ज्ञापांक 3346, दिनांक 22.11.2017 द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार दर्द (बि.प्र.से.), कोटि क्रमांक 11, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भागलपुर के विरुद्ध 77,85,546/- (सत्हत्तर लाख पचासी हजार पाँच सौ छियालिस) रुपये के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या- 082/17 दिनांक 31.10.2017 धारा- 13(2) सह-पठित धारा- 13(1)(ई) भ्र.नि. अधि., 1988 दर्ज है।

2. श्री दर्द के तत्कालीन पदस्थान अवधि तक उनके आय एवं व्यय की गणना के अनुसार उनकी कुल सम्पत्ति 1,91,07,546/- रु. आंकी गयी है। श्री दर्द द्वारा अर्जित की गई कुल राशि (1,91,07,546/- रु.) में से उनकी अनुमानित बचत 1,13,22,000/- रु. है। इस प्रकार श्री दर्द की कुल सम्पत्ति में उनके ज्ञात वैध स्त्रोतों से कुल 77,85,546/- (सत्हत्तर लाख पचासी हजार पाँच छियालिस) रुपये की अधिक सम्पत्ति पाई गई है।

3. श्री दर्द द्वारा समर्पित वर्ष 2016-17 की सम्पत्ति विवरणी में अपने एवं अपनी पत्नी के नाम से खरीदी गई अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण नही दिया गया है जो नाजायज एवं अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति को छुपाने की मंशा से प्रेरित है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि श्री दर्द का यह कृत्य भ्रष्ट आचरण एवं कदाचार का द्योतक है तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन है। "

3. कहा जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ लगाए गए उपरोक्त आरोपों पर अपना जवाब दाखिल किया था, जिसके बाद जांच अधिकारी ने विभागीय जांच की थी और जाँच प्रतिवेदन दिनांकित 28.03.2022 प्रस्तुत की थी, जिसमें पाया गया कि सभी आरोप साबित नहीं हुए हैं। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने तब जांच अधिकारी की राय से अलग होने की मांग की थी, विशेष रूप से आरोप संख्या-3 के संबंध में। दूसरा कारण सूचना दिनांकित 10.06.2022 जारी किया था, जिस पर याचिकाकर्ता ने फिर से अपना जवाब दिनांक 22.06.2022 दाखिल किया था। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने तब याचिकाकर्ता पर संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धि को रोकने की सजा देते हुए दिनांक 18.10.2022 का दंड का आक्षेपित आदेश पारित किया था। याचिकाकर्ता ने तब एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, हालाँकि, इसे दिनांकित 06.01.2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया है, हालाँकि, इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता निलंबन की अवधि के लिए उसे पहले से ही भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते की राशि से अधिक किसी भी राशि का हकदार नहीं होगा। इस अवधि के दौरान, सतर्कता जांच ब्यूरो ने 2017 के उपरोक्त सतर्कता पी. एस. मामले में 04.02.2021 को एक अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया था, जिसके परिणामस्वरूप इसे विद्वान सतर्कता अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया और दिनांकित 24.02.2021 के आदेश के माध्यम से आपराधिक कार्यवाही को हटा दिया गया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दिनांक 2 के माध्यम से लगाए गए आरोपों का एक नंगे अवलोकन, साथ ही दिनांक 4 की जांच प्रतिवेदन के अवलोकन पर, और दिनांक 1 के कारण बताएँ नोटिस से पता चलता है कि अंततः, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जानबूझकर आरोप संख्या- 1 और 2 को संचालित नहीं करने का निर्णय लिया है, हालांकि, इसने याचिकाकर्ता को आरोप संख्या-3 के लिए दंडित करने का निर्णय लिया है, जो वर्ष 2016-17 के लिए की गई संपत्तियों की घोषणा में याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा खरीदी गई अचल संपत्तियों के पूरे विवरण का खुलासा न करने से संबंधित है। जहां तक उक्त आरोप संख्या-3 का संबंध है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जांच अधिकारी के दिनांक 28.03.2022 के निष्कर्ष का उल्लेख किया है, जैसा कि पैराग्राफ संख्या 12.4 में निहित है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> "12.4 अवचार या कदाचार के लांछनों के अभिकथन की तीसरी कंडिका में वर्णित आरोप आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित वर्ष 2016-17 की सम्पत्ति विवरणी में अपने एवं अपनी पत्नी के नाम से खरीदी गई अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण नही देने से संबंधित है। आरोपित पदाधिकारी ने समर्पित किया कि उनके नाम से सम्पत्ति विवरणी 2016-17 में अंबेडकर पथ पटना स्थित सादिकपुर मौजा में रेसिडेंसियल अपार्टमेंट की खरीदगी एच.डी.एफ.सी. पटना से लोन लेकर क्रय करने का तथ्य अंकित है। उसके अलावा दो अचल सम्पत्ति यथा मौजा रामपुर में 59 डिसिमल जमीन और गया से 16 कट्ठा जमीन को भी वर्ष 2016-17 की सम्पत्ति विवरणी में दिखलाया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रारंभिक गोपनीय जाँच में जमीन से संबंधित अनेकों दस्तावेज की विवरणी दर्शायी गयी है, जिसे पत्नी के द्वारा पूर्व में ही बिक्री की जा चुकी है। आरोपित पदाधिकारी ने यह भी समर्पित किया कि बिहार सरकारी सेवक (आचार) नियमावली, 1976 के संदर्भ में मेमो नंबर 3/आर.आई.-108/76 ए-21734, दिनांक 15.11.1976 के अनुसार सरकारी सेवक के परिवार का कोई सदस्य यदि निजी स्त्रोत या विरासत में कोई सम्पत्ति अर्जित करता है, तो इस तरह अर्जित की गयी सम्पत्ति पर बिहार सरकारी सेवक (आचार) नियमावली, 1976 के नियम-19 के उप नियम 2 एवं 3 लागू नही होगें और नियम 19 के अधीन दिये जाने वाले सम्पत्ति संबंधी रिपोर्ट में भी इस तरह की सम्पत्ति का उल्लेख करना आवश्यक नही है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने इस संबंध में कुछ भी समर्पित नही किया। आरोपित पदाधिकारी ने अपना या अपनी पत्नी की सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण 2016-17 के लिए

समर्पित सम्पत्ति विवरणी में किया है और यह भी समर्पित किया कि उनकी पत्नी निजी स्त्रोत एवं विरासत में सम्पत्ति अर्जित की है, इसलिये बिहार सरकारी सेवक (आचार) नियमावली, 1976 के नियम-19 के उप नियम 2 एवं 3 लागू नही होगें। आरोपित पदाधिकारी ने भी जो तर्क दिये है और जिस सरकारी पत्र का जिक्र किया है, उसके अनुसार आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध यह आरोप प्रमाणित प्रतीत नही होता है। "

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 28.03.2022 के जाँच प्रतिवेदन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016-17 की घोषणा के माध्यम से अपने और अपनी पत्नी के पास मौजूद संपत्तियों का विवरण/विवरण प्रस्तुत किया था और उसमें उसने घोषणा की थी कि वह अंबेडकर पथ पर एक आवासीय अपार्टमेंट रखता है, जिसे उसने एच. डी. एफ. सी. बैंक, पटना से ऋण लेकर खरीदा था और इसके अलावा, गया में मौज़ा रामपुर में स्थित दो और संपत्तियों के विवरण का भी उल्लेख किया गया था, हालांकि, दूसरे कारण बताओ नोटिस दिनांकित 10.06.2022 जारी करते समय, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने सहमत नहीं होने की इच्छा व्यक्त की है। जांच अधिकारी की उपरोक्त राय से, हालांकि, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने यह नहीं बताया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किस अचल संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया है और इसके विपरीत नए आरोप लगाए गए हैं, जो कभी भी दिनांकित 03.04.2018 के आरोप पत्र का हिस्सा नहीं थे, इसलिए दूसरा कारण बताओ नोटिस दिनांकित 10.06.2022 विकृत और अवैध है। द्वितीय कारण दिखाएँ नोटिस दिनांकित 10.06.2022 के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

"उक्त नियमावली के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 946 दिनांक 24.01.2011 द्वारा राज्य सरकार के सभी पदाधिकारी/कर्मियों को विहित प्रपत्र में चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह तक सार्वजनिक किये जाने का आदेश दिया गया है। उपस्थापित मामले में संचालन पदाधिकारी महोदय द्वारा आरोपी के कथन को उल्लेखित करते हुए आरोप को प्रमाणित प्रतीत नही होना बताया गया है। आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि वे अपना या अपनी पत्नी की सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण 2016-17 के लिये समर्पित सम्पत्ति विवरणी में किया है और उनकी पत्नी जो सम्पत्ति निजी स्त्रोत एवं विरासत से अर्जित की है, उसका ब्योरा उसमें नही दिया गया है।

इस प्रकार अपने द्वारा वर्ष 2016-17 में अपनी पत्नी के नाम पर आय से कम सम्पत्ति का उल्लेख किया गया है एवं शेष सम्पत्ति के संबंध में उनकी निजी अर्जित सम्पत्ति बताया गया है, इसका आधार स्पष्ट नही किया गया है। इस प्रकार आपका अपनी पत्नी के सम्पत्ति के संबंध में कथन गलत मंशा को दर्शाता है। इस संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट मंतव्य नही दिया गया है। उनके द्वारा केवल आपके तर्क के आधार पर आरोप को प्रमाणित प्रतीत नही होता है, बताया जाना तर्क संगत नही है। "

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा है कि हालांकि आरोप संख्या- 3 याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के पास मौजूद अचल संपत्तियों के संपूर्ण और पूर्ण विवरण का खुलासा न करने से संबंधित है, हालांकि, उपरोक्त द्वितिय कारण दिखाएँ नोटिस दिनांक 10.06.2022 जारी करते समय, हालांकि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ऐसे संपत्तियों की गणना करने में विफल रहा है, जिनका कथित रूप से याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए संपत्तियों की घोषणा प्रस्तुत करते समय खुलासा नहीं किया गया है, बल्कि इसके बजाय इस प्रभाव का एक नया आरोप लगाया है कि हालांकि वर्ष 2016-17 के लिए, याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी द्वारा अर्जित संपत्तियों के विवरण का खुलासा किया था जो उसकी आय से कम थी, हालांकि, उसकी पत्नी की बाकी संपत्तियों के बारे में, यह कहा गया है कि वे उसकी पत्नी की स्व-अर्जित संपत्तियां हैं, हालांकि, इसका आधार समझाया नहीं गया है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण दूसरा कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने के चरण में एक नए आरोप का उल्लेख नहीं कर सकता है, जो याचिकाकर्ता को जारी किए गए प्रपत्रा 'का' वाले दिनांकित आरोप पत्र का कभी भी हिस्सा नहीं था। यह भी तर्क दिया जाता है कि बिहार सरकार के कर्मचारी (आचरण) नियम, 1976 (इसके बाद "नियम, 1976" के रूप में संदर्भित) के नियम 19 को राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांकित 15.11.1976 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी को जायदाद/संपत्ति घोषणा प्रपत्र में परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्रोतों या विरासत द्वारा अर्जित संपत्तियों का विवरण घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त राज्य सरकार के ज्ञापन दिनांक 15.11.1976 के प्रासंगिक हिस्से को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

"2. बिहार सरकारी सेवक (आचार) नियमावली, 1976 के नियम-19 के उप नियम 2 एवं 3 तभी लागू होगें जब सरकारी सेवक या तो स्वयं अपने नाम में या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में सम्पत्ति अर्जित करें। सरकारी सेवक के परिवार का कोई सदस्य यदि निजी स्त्रोत या विरासत में (**inheritance**) कोई सम्पत्ति अर्जित करता है तो उस तरह अर्जित की गयी सम्पत्ति पर बिहार सरकारी सेवक (आचार) नियमावली, 1976 के नियम-19 के उप नियम 2 एवं 3 लागू नही होगें और नियम 19 के अधीन दिये जाने वाले सम्पत्ति सम्बन्धी रिपोर्ट में भी, जिसे सेवक को दाखिल करना है, इस तरह की सम्पत्ति का उल्लेख करना आवश्यक नही है। "

7. इस प्रकार यह याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी द्वारा अपने व्यक्तिगत स्रोतों या विरासत के माध्यम से अर्जित संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी उसने स्वेच्छा से अपनी और अपनी पत्नी द्वारा धारित सभी संपत्तियों का खुलासा पारदर्शी तरीके से किया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इसके बाद 18.10.2022 दिनांकित सजा के विवादित आदेश का उल्लेख किया है, यह प्रस्तुत करने के लिए कि यह दर्शाता है कि उस आरोप को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है। कि आरोप संख्या-3 साबित हो गया है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **एम. वी. बिजलानी बनाम भारत संघ और अन्य, (2006) 5 में रिपोर्ट किए गए एस. सी. सी. 88** में प्रतिवेदित के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। यह प्रस्तुत करने के लिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अनुशासनात्मक कार्यवाही अर्ध-आपराधिक/न्यायिक प्रकृति की है, लेकिन आरोप को साबित करने के लिए कुछ सबूत होने चाहिए, लेकिन यह भी अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि विभागीय कार्यवाही में आरोपों को को आपराधिक मुकदमे की तरह साबित करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात सभी उचित संदेह से परे, फिर भी, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जांच अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक कार्य करता है, जो दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर आरोपों को साबित करने की संभावना की अधिकता थी और ऐसा करते हुए, वह किसी भी अप्रासंगिक तथ्य को ध्यान में नहीं रख सकता है, वह प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने से इनकार नहीं कर सकता है, वह सबूत की जिम्मेदारी को स्थानांतरित नहीं कर सकता है, वह केवल अंदेशो और अनुमानों के

आधार पर गवाहों की प्रासंगिक गवाही को अस्वीकार नहीं कर सकता है और वह **उन आरोपों की जांच नही कर सकता, जो दोषी अधिकारी पर नही लगाये गये थे। इस मोड़ पर, उपर्युक्त निर्णयों के पैरा संख्या-14, 20 और 23 से 26 तक को** पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा जो **एम. वी. बिजलानी** (उपर्युक्त) के मामले में नीचे दिए गए हैंः-

> *"14. जाँच रिपोर्ट के अवलोकन से, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अनुशासनात्मक अधिकारी गलत आधार पर आगे बढ़े। अपीलार्थी पर मुख्य रूप से एसीई-8 रजिस्टर का रखरखाव न करने का आरोप लगाया गया था। उन पर 4000 किलोग्राम तार तांबे के तार की चोरी या दुरुपयोग या उसके दुरुपयोग का आरोप नहीं लगाया गया था। यदि उनके खिलाफ तांबे के तार की उक्त राशि के दुरुपयोग या गबन के लिए कार्रवाई की जानी थी, तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए उस ओर से उचित आरोपों को तय करना आवश्यक था। कहा जाता है कि सीबीआई (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) से एक प्रतिवेदन मिलने के बाद आरोप तय किए गए थे। इसलिए, यह उम्मीद की गई थी कि अपीलार्थी द्वारा तांबे के तार के दुरुपयोग के निश्चित आरोप तय किए गए होंगे। इसलिए, अपीलार्थी पर उन दुकानों के अवमूल्यन या दुरुपयोग का आरोप लगाया जाना चाहिए था जिन्हें उसने संभाला था, यदि उसके खिलाफ उस आधार पर विभागीय कार्रवाई की जानी थी। दूसरे आरोप से पता चलता है कि वह केवल लाइन के काम की निगरानी करने में विफल रहे थे। इस बात का कोई आरोप नहीं था कि वह तांबे के तार का हिसाब देने में विफल रहे, जिस पर उनका भौतिक नियंत्रण था।*
>
> *20. जाँच अधिकारी इस तरह आगे बढ़े जैसे विभागीय कार्यवाही में अपीलार्थी पर संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया हो। गवाहों ने न केवल तांबे के तार की चोरी की बात की, बल्कि मस्टर रोल डायरी के अस्तित्व के बारे में भी बताया। एक दया शंकर के अनुसार, डायरी में दिखाया गया काम सही था। उनके अनुसार, खंड गीदम-बीजापुर में 300 पाउंड लोहे के तार के निर्माण के अलावा, पूरे खंड में 150 पाउंड का निर्माण किया गया था। उन्होंने कहा कि तार के टूटे हुए टुकड़े एसआईटी डायरी के माध्यम से जगदलपुर भेजे गए थे। उनके अनुसार, तांबे के तार लगाने का काम 1969 से शुरू हुआ और मार्च 1970 तक जारी रहा। श्री के. सी. सरिया, जो अपीलार्थी के उत्तराधिकारी थे, ने मस्टर रोल और एसीई-8 रजिस्टर के रखरखाव के बारे में बताया। उनके अनुसार, अनुमान से संबंधित दुकानों का हिसाब रखा गया था और अनुमान संचिका के साथ एसीई-8 शीट संलग्न की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि ए. सी. ई.-8 पत्रक*

दिनांक में थे। अनुमान संचिका में थी। श्री के. डी. श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने कहा था कि श्री काशीराम नामक व्यक्ति द्वारा तांबे के तार की चोरी की सूचना मिली थी।

23. जाहिर है, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य और उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष आरोपों के अनुरूप नहीं थे। *अगर यह मामला दुरुपयोग या गबन का था, तो अपीलार्थी को इसके बारे में विशेष रूप से बताया जाना चाहिए था। उचित आरोप तय किए बिना इस तरह के गंभीर आरोप की जांच नहीं की जा सकती थी। अन्यथा आरोप अस्पष्ट हैं। हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि उच्च न्यायालय भी इस आधार पर आगे बढ़ा कि डायरी का रखरखाव न करना तांबे के तार का दुरुपयोग है।*

24. जब श्री वर्मा से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अपीलार्थी ने गैर-स्वीकृत कार्यों में इसका उपयोग किया हो। यदि ऐसा है, तो उस प्रभाव के लिए एक विशिष्ट शुल्क तैयार किया जाना चाहिए था।

25. यह सच है कि न्यायिक समीक्षा में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है। हालाँकि, अनुशासनात्मक कार्यवाही, प्रकृति में अर्ध-आपराधिक होने के कारण, आरोप को साबित करने के लिए कुछ सबूत होने चाहिए। यद्यपि विभागीय कार्यवाही में आरोपों को आपराधिक मुकदमे की तरह साबित करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात सभी उचित संदेह से परे, हम ***इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जांच अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक कार्य करता है, जिसे दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर आरोपों को साबित करने की संभावना बहुत अधिक थी। ऐसा करते समय*** *इसलिए, वह किसी भी अप्रासंगिक तथ्य को ध्यान में नहीं रख सकता है।*

वह प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने से इनकार नहीं कर सकते। वह सबूत के बोझ को नहीं बदल सकता। वह केवल अंदेशा और अनुमान के आधार पर गवाहों की प्रासंगिक गवाही को अस्वीकार नहीं कर सकता है। ***वे उन आरोपों की जांच नहीं कर सकते जिनके लिए दोषी अधिकारी पर आरोप नहीं लगाया गया था।***

26. जाँच अधिकारी का प्रतिवेदन उपरोक्त दोषों से ग्रस्त है। इस प्रकार, अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के आदेश जो उक्त जांच रिपोर्ट पर आधारित हैं, उन्हें कायम नहीं रखा जा सकता है। जिस तरह से न्यायाधिकरण ने मामले से निपटा है, हमने उस पर भी ध्यान दिया है। अपने निष्कर्षों पर, उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि उसने अपीलार्थी

द्वारा उठाई गई दलीलों पर गहराई से विचार नहीं किया है। इस प्रकार न्यायाधिकरण भी अपने कार्यों का ठीक से निर्वहन करने में विफल रहा। "

(माइन को रेखांकित करना)

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **इलाहाबाद बैंक और अन्य बनाम कृष्ण नारायण तिवारी, (2017) 2 एस. सी. सी. 308** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। यह तर्क देने के लिए कि ऐसे मामले में जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण एक निष्कर्ष दर्ज करता है जो किसी भी साक्ष्य द्वारा असमर्थित है, जो भी हो या एक निष्कर्ष जिस पर कोई भी उचित व्यक्ति नहीं पहुंच सकता था, रिट कोर्ट मामले की जांच करने और उचित मामलों में राहत देने में उचित होगा। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 18.10.2022 दिनांकित दंड का आदेश, जो किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, खारिज किए जाने के लिए उपयुक्त है।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन में कोई अनियमितता नहीं हुई है, इसलिए यह न्यायालय अपील में नहीं बैठेगा और साक्ष्य की फिर से सराहना करेगा। यह अनुच्छेद संख्या का उल्लेख करके भी प्रस्तुत किया जाता है। 30 और वर्तमान मामले में दायर जवाबी हलफनामे के 31 में कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी की संपत्तियों की घोषणा की थी तो उसे कुल संपत्तियों की घोषणा करनी चाहिए थी, जो या तो याचिकाकर्ता या उसकी पत्नी के नाम पर थीं, हालांकि, याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन की सावधानीपूर्वक जांच की है और यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तुत संपत्ति घोषणा प्रपत्र में अपनी कुल संपत्ति का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए याचिकाकर्ता पर लगाए गए दंड न्यायसंगत, उचित और कानूनी हैं।

10. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है, जिससे यह न्यायालय पाता है कि हालांकि याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन आरोप

लगाए गए थे, हालांकि, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अंततः विभागीय कार्यवाही को सीमित कर दिया है। 3 चूंकि याचिकाकर्ता को दिनांक 10.06.2022 का दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें राय का अंतर दर्ज करते हुए जांच अधिकारी का प्रतिवेदन केवल आरोप संख्या-3 तक सीमित है। फिर भी, इस न्यायालय ने पाया कि हालांकि आरोप नहीं है। 3 वर्ष के लिए संपत्ति घोषणा प्रपत्र में उसके और उसकी पत्नी द्वारा अर्जित अचल संपत्तियों के पूर्ण और पूर्ण विवरण का खुलासा न करने से संबंधित है, हालांकि, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने इसके बजाय जांच अधिकारी की राय से भिन्न होने के लिए एक विदेशी कारण का उल्लेख किया है, क्योंकि अब यह आरोप लगाया गया है कि हालांकि वर्ष के लिए याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी द्वारा अर्जित संपत्तियों के विवरण का खुलासा किया था, हालांकि, उसकी पत्नी की बाकी संपत्तियों के बारे में, हालांकि यह कहा गया है कि वे उसकी पत्नी की स्व-अर्जित संपत्तियां हैं। लेकिन उस आधार को समझाया नहीं गया है, जो निश्चित रूप से 03.04.2018 दिनांकित आरोप पत्र का हिस्सा नहीं था/है जिसमें प्रपात्रा 'का' है। इस मोड़ पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण दूसरे कारण दर्शाओ नोटिस में संपत्तियों का विवरण निर्दिष्ट करने में भी विफल रहा है, जिसका याचिकाकर्ता/उसकी पत्नी द्वारा खुलासा नहीं किया गया है और बिना किसी सबूत के केवल एक गंजा आरोप लगाया गया है। इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि दिनांक 10.06.2022 के दूसरे कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, कोई नया आरोप पेश नहीं किया जा सकता था, सिवाय उन आरोपों को स्वीकार करने के जो दिनांक 03.4.2018 के उपरोक्त आरोप पत्र के माध्यम से बनाए गए हैं, इसलिए दूसरा कारण बताओ नोटिस दिनांकित 10.06.2022 कानून के विपरीत और अवैध माना जाता है, जैसा कि **एम. वी. बिजलानी** (उपरोक्त) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है।

11. अब, दिनांक 18.10.2022 के दंडादेश पर आते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा कथित रूप से अर्जित की गई अचल संपत्तियों का कोई जिक्र/विवरण नहीं है, सिवाय इसके कि याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए संपत्ति घोषणा प्रपत्र में घोषित उपरोक्त तीन संपत्तियों का उल्लेख या तो दिनांक 10.06.2022 के दूसरे कारण

बताओ नोटिस में या दिनांक 18.10.2022 के दंडादेश के क्रम में किया गया है और केवल एक निराधार बयान है, जो किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, जो भी हो, दिनांक 18.10.2022 के दंडादेश में किया गया है। वर्ष 2016-17 के परिसंपत्ति घोषणा प्रपत्र में, याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी द्वारा अतीत में बेची गई संपत्तियों से प्राप्त आय का खुलासा नहीं किया है, जिसका उल्लेख परिसंपत्ति और देयता घोषणा प्रपत्र में भी किया जाना चाहिए था, एक बयान/आरोप जो याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांकित 03.04.2018 के आरोप पत्र के माध्यम से लगाए गए आरोपों का हिस्सा नहीं है, इस तथ्य के अलावा कि नियम, 1976 के नियम-19 में भी इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय मानता है कि सजा का आदेश दिनांकित 18.10.2022, किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, विकृत है, बाहरी सामग्रियों को ध्यान में रखा गया है, नए आरोप लगाए गए हैं, फिर से बिना किसी सबूत के, जो कभी भी दिनांक 03.04.2018 के आरोप पत्र का हिस्सा नहीं थे और वास्तव में वही आगे दर्शाते हैं कि दिनांकित आरोप पत्र द्वारा लगाए गए आरोप वास्तव में छोड़ दिए गए हैं, इसलिए दिनांकित दंड का आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है, इसलिए तदनुसार रद्द कर दिया जाता है। नतीजतन, अवर सचिव द्वारा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना को पारित किए गए दिनांकित 06.01.2023 के पुनरीक्षण आदेश को भी रद्द कर दिया गया है।

12. रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

सौरभ/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।